



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 19.09.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 01.03.2022 को अभियुक्त अंकुश पुत्र राजवीर निवासी ग्राम भगवानपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ द्वारा रास्ते में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 87/2022 धारा 354क, 354घ(1)(i), 354घ(1)(ii), 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 27.03.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 19.09.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री दलवीर सिंह एवं पैरोकार का0 अनुज व कोर्ट मोहरीर है0का0 प्रशांत कुमार पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।

